सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **127/2018** दायर दिनाँक **23.04.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. खेताराम पुत्र बीरदाराम, उम्र—72साल, जाति—कुम्हार, निवासी—बकवास, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. भागूराम पुत्र पोकरराम, 2. जिमनादेवी पत्नी रेवताराम, 3. रेवताराम पुत्र सुजाराम, 4. बजरंगलाल पुत्र सुजाराम, 5. पुरखाराम पुत्र सुजाराम, 6. हरकूदेवी पत्नी सुजाराम, समस्त,जाति—कुम्हार, निवासी—बकवास, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 7. चुनाराम पुत्र गणेशाराम, 8. रूपाराम पुत्र गणेशाराम, 9. जुगलकिशोर पुत्र झूमरराम, 10. चतराराम पुत्र झूमरराम, 11. गुमानाराम पुत्र झूमरराम, 12. सोनादेवी पत्नी झूमरराम, 13. मुकेशदेवी पत्नी राधेश्याम, 14. मोहनाराम पुत्र पोकरराम, 15. सीताराम पुत्र पोकरराम, 16. पाँचूराम पुत्र पोकरराम, समस्त,जाति—कुम्हार, निवासी—कुम्हार, निवासी—बकवास, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 17. भँवरलाल पुत्र समानाराम, 18. नरसीराम पुत्र समानाराम, 19. केशरदेवी पत्नी सोहनलाल, समस्त,जाति—जाट, निवासी—बकवास, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 20. सरपंच, ग्रामपंचायत, खरेश, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 21. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

दावा बाबत्
बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 188, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01, 03, 04, 07, 08, 13 व 15 उपस्थित।

–:: प्राथमिक निर्णय ::–

दिनाँक **14.06.2018**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वाद व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 13 स्वर्गीय ज्ञानाराम के वारिशान् हैं। शरहद बकवास में खसरा नम्बर 59 रकबा 61.04 बीघा, खसरा नम्बर 57 रकबा 06.04 बीघा, खसरा नम्बर 150 रकबा 19.19 बीघा व खसरा नम्बर 99 रकबा 02.02 बीघा अवस्थित है। वादग्रस्त भूमि में स्वर्गीय ज्ञानाराम के वारिशान् का 1/4 – 1/4 हिस्सा है व हिस्सा 1/4 में वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वर्तमान नकल खतौनी पेश है।

प्रार्थना वादी है कि,

शरहद बकवास में खसरा नम्बर 59 रकबा 61.04 बीघा, खसरा नम्बर 57 रकबा 06.04 बीघा, खसरा नम्बर 150 रकबा 19.19 बीघा व खसरा नम्बर 99 रकबा 02.02 बीघा में से वाद संलग्न नजरीनक्शा मुताबिक हिस्सा 1/4 भाग का वादी को खातेदार घोषित किया जावे। वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 21 को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत जरिये सम्मन तलब किया गया।

वादी ने वाद के समर्थन में शपथ–पत्र, नजरीनक्शा, जमाबन्दी ग्राम बकवास सम्वत् 2072–2075 खेवट संख्या 47/42, 60/56 व 46/41 की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ, पेश की है।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प–खरेश में प्रकरण पेश हुआ। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01, 03, 04, 07, 08, 13 व 15 उपस्थित। पक्षकारान् वाद में, प्राथमिक निर्णय किया जाने की मंशा जाहिर कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं साक्ष्य के अनुसार शरहद मौजा बकवास के वादग्रस्त भूमि के वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 19 सहखातेदारान् हैं तथा विधिवत् बन्टवारा करवाने की इस्तदुआ कर रहे हैं। पक्षकारान् सहखातेदार होने के कारण बन्टवारा करवाने के कानूनन् हकदार हैं।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 127/2018
दायर दिनाँक 23.04.2018, प्राथमिक निर्णय दिनाँक 14.06.2018
खेताराम बनाम् भागूराम, वगैरा।

अतः वादी का वाद प्राथमिक डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा प्राथमिक डिक्री सादिर कर, शरहद बकवास में खसरा नम्बर 59 रकबा 61.04 बीघा, खसरा नम्बर 57 रकबा 06.04 बीघा, खसरा नम्बर 150 रकबा 19.19 बीघा व खसरा नम्बर 99 रकबा 02.02 के वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 19 के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने का आदेश तहसीलदार डीडवाना को दिया जाता है तथा साथ ही यह भी निर्देश है कि पक्षकारान् के बन्ट में आई भूमि का सीमांकन भी करवाया जावे।

विभाजन प्रस्ताव में, पक्षकारान् को विभाजन से उनके हिस्सों में आने–जाने हेतु रास्ते की सामुहिक भूमि प्रस्तावित करते हुए, विभाजन प्रस्ताव दौ प्रतियों में तैयार कर, पेश किया जावे।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–खरेश

प्राथमिक निर्णय, आज दिनाँक 14.06.2018 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–खरेश

Scanned by CamScanner